राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5886/2021

पूजा गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.11.2021
आदेश की दिनांक : 23.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए काल्पनिक वेतन निर्धारण कर वरिष्ठता प्रदान करें, जो समान प्रक्रिया द्वारा चयन हुए कार्मिकों को वरिष्ठता प्रदान की गई है। अपीलार्थी को भी वरिष्ठता प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 10.09.2012 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और लम्बे वाद विवाद के पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2013 के द्वारा नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने अनेको बार काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए अनुरोध किया, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी के समान मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल

रिट याचिका संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रार्थियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की गई। इसी प्रकार अपीलार्थी भी वरिष्ठता एवं काल्पनिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित रखा गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए काल्पनिक वेतन निर्धारण कर वरिष्ठता प्रदान करें, जो समान प्रक्रिया द्वारा चयन हुए कार्मिकों को वरिष्ठता प्रदान की गई है। अपीलार्थी को भी वरिष्ठता प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। संशोधित परिणाम में अपीलार्थी के अंक 90.3 थे तथा उक्त भर्ती में अपीलार्थी से कम प्राप्तांक वाले किसी अभ्यर्थी को अपीलार्थी से पूर्व में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तथा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया। अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का अंतिम निस्तारण किए जाने के पश्चात् संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के उपरांत अपीलार्थी को नियुक्ति का पात्र पाये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 09.09.2013 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 10.09.2012 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और माननीय न्यायालय में लम्बे वाद विवाद के पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2013 के द्वारा नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने अनेको बार काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए अनुरोध किया, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक 10.09.2012 के बजाय 09.09.2013 को दिए जाने के उपरांत एक ही भर्ती में अन्य कार्मिकों की भांति अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ एवं वरिष्ठता प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि

संशोधित परिणाम में अपीलार्थी के अंक 90.3 थे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका का अंतिम निस्तारण पश्चात् अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 का परीक्षा परिणाम संशोधित किया गया और संशोधित परिणाम जारी किए जाने के उपरांत ही अपीलार्थी को नियुक्ति का पात्र पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.09.2013 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 को दृष्टिगत रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के वरिष्ठता एवं काल्पनिक लाभों के संबंध में उसके अभ्यावेदन को आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य